



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के अभियोग में अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 80,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु०अ०सं०- 63/2018 धारा-376 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एफटीसी प्रथम/गैंग० एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रियाज खां पुत्र ताज खां निवासी कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 80,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री महेश चन्द्र
द्विवेदी



विवेचक-
एसएचओ
राजकुमार सिंह



पैरोकार- थाना मौदहा
का० शुभम यादव